न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 196/2024

उनवान :

इशाक मोहम्मद पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ जाति मुस्लिम तेली निवासी भादरा।

:— वादी

बनाम

1. सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ पुत्र गन्नी जाति तेली निवासी भादरा।
2. असलम खान पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ जाति तेली भादरा।
3. जबार खान पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ तेली भादरा।
4. अब्दुल हमीद पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ तेली भादरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री जयकिशन गोदारा : वादी

वकील श्री राधेश्याम : प्रतिवादी सं0 1 ता 4

निर्णय

दिनांक : 16.07.2025

रोही मौजा चक 9 बारानी के खाता सं0 69/69 के मु0न0 102 के कि0न0 3 ता 9, ता 25 मु0न0 103 के कि0न0 1 ता 24, मु0न0 104 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, /1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13, 14 कुल किता 63 की 14.6740 है0 में तिवादी संख्या 1 के नाम 489/2935 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं धिकार निहित है। वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये म्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में इशाक मोहम्मद पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ जाति मुस्लिम तेली निवासी भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी रोही मौजा 9 बारानी खाता संख्या 69/69 सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा 9 बारानी खाता संख्या सम्वत 2046 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम कार्यालय पार्षद नगरपालिका भादरा प्रदर्श 3 तथा सदस्य प्रमाण पत्र बावत शपथ पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद तथा शपथ पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी के पूर्वज पहले हिन्दु थे लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम धर्म अपना लिया लेकिन वर्तमान में भी हिन्दु विधि के अनुसार हि... अधिनियम की पालना करते है उक्त वादभूमि वादी की विरासतन दादालाई पै... सम्प... होने के कारण तथा हिन्दु संस्कृति के अनुसार शासित होने के कारण ... का संयुक्त परिवार की सम्पति में जन्म से अधिकार ... भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हक ... र विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:50:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा 9

Scanned with CamScanner

बारानी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा 9 बारानी के खाता सं0 69/69 के मु0न0 102 के कि0न0 3 ता 9, 11 ता 25 मु0न0 103 के कि0न0 1 ता 24, मु0न0 104 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13, 14 कुल किता 63 की 14.6740 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 489/2935 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सरीफ अकेले की बजाय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 बारानी के खाता सं0 69/69 के मु0न0 102 के कि0न0 3 ता 9, 11 ता 25 मु0न0 103 के कि0न0 1 ता 24, मु0न0 104 कि0न0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13, 14 कुल किता 63 की 14.6740 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 489/2935 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सरीफ अकेले की बजाय वादी इशाक मोहम्मद एवं प्रतिवादी संख्या 1 सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ, प्रतिवादी संख्या 2 असलम खान, प्रतिवादी संख्या 3 जबार खान तथा प्रतिवादी संख्या 4 अब्दुल हमीद को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:50:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 196/2024

अनवान :

इशाक मोहम्मद पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ जाति मुस्लिम तेली निवासी भादरा।

:- वादी

बनाम

1. शरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ पुत्र गन्नी जाति तेली निवासी भादरा।
2. असलम खान पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ जाति तेली भादरा।
3. जबार खान पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ तेली भादरा।
4. अब्दुल हमीद पुत्र सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ तेली भादरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील ादी श्री जयकिशन गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राधेश्याम की उपस्थिति में निर्णय हेतु स्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है ा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 9 बारानी के खाता सं0 69/69 के मु0न0 102 के कि0न0 3 ता 9, 11 ता 25 मु0न0 103 के कि0न0 1 ता 24, मु0न0 104 कि0न0 1/1, 1/2, /1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 10, 13, 14 कुल किता 63 की 46740 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 489/2935 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। क्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 सरीफ अकेले की बजाय वादी इशाक मोहम्मद एवं तिवादी संख्या 1 सरीफ उर्फ मोहम्मद शरीफ, प्रतिवादी संख्या 2 असलम खान, प्रतिवादी ख्या 3 जबार खान तथा प्रतिवादी संख्या 4 अब्दुल हमीद को बहिस्सा बराबर के खातेदार षित किया जाता है यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार जस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष न्ना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16·07·2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से ारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.05 12:50:36 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner